बजट 2007-2008 की प्रमुख विशेषतायें

अर्थव्यवस्था पर एक मध्यावधि रिपोर्ट

- सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में सुधार, वर्ष 2004-05 में 7.5 प्रतिशत से 2005-06 में 9% (त्वरित अनुमान) और 2006-07 में 9.2% (अग्रिम अनुमान), यूपीए सरकार के तीन वर्ष में औसत विकास दर 8.6% पर, दसवीं योजना के लिए 8% का विकास लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा; तीन वर्ष की अवधि के दौरान विनिर्माण में विकास दर की गति तीव्र 8.7% से 9.1% और पुनः 11.3%, और सेवा क्षेत्र में 9.6% से 9.8% और पुनः 11.2%।

- दसवीं योजना के दौरान कृषि में औसत विकास 2.3% अनुमानित।

- *आय और बचतें*: 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अर्थों में 7.4% की वृद्धि, बचत दर 32.4% पर अनुमानित और निवेश दर 33.8% पर।

- *मुद्रास्फीति*: बैंक ऋण में वर्षानुवर्ष आधार पर 29.6% की वृद्धि; मुद्रा पूर्ति (एम3) में 21.3% का विस्तार, विदेशी मुद्रा भंडार 180 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर, वैश्विक वस्तु मूल्यों द्वारा घरेलू मूल्यों पर दबाब, और कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधाएं-परिणाम स्वरुप 2006-07 में औसत मुद्रास्फीति 5.2% और 5.4% के बीच अनुमानित, जबकि पिछले वर्ष यह 4.4% थी।

भारत निर्माण और अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमः

- वर्ष 2006-07 में 2,400,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई योग्य बनायी जाएगी, दिसम्बर, 2006 तक 55,512 अतिरिक्त आवासों को पेयजलापूर्ति, 12,198 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा, और 783,000 ग्रामीण मकानों का निर्माण और 914,000 मकान निर्माणाधीन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 19,758 ग्राम कवर हुए, 20,000 ग्रामों के लक्ष्य के मुकाबले 15,054 ग्रामों को टेलीफोन मुहैया कराए गए और शेष इस वर्ष के अंत तक कवर कर लिए जाएंगे।

ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना

- *उद्देश्यः* "तीव्रतर और अत्यधिक समावेशी विकास", योजना अवधि के अन्त तक लगभग 10% की विकास दर, कृषि क्षेत्र में 4% का विकास, तीव्र गति से रोजगार सृजन, सभी क्षेत्रों में विसंगतियों को कम करना और बुनियादी वास्तविक आधारभूत ढांचे के प्रति पहुंच सुनिश्चित तथा सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा।

- *प्रमुख क्षेत्रों के लिए आबंटनः* भारत निर्माण के लिए प्रावधान में 31.6% की वृद्धि, 18696 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,603 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 34.2% की वृद्धि करके 32,352 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 21.9% की वृद्धि करके 15,291 करोड़ रुपए।

- *सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याह्न भोजन स्कीमः* विद्यालयी शिक्षा के लिए आबंटन में 35% की वृद्धि, 17,133 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,142 करोड़ रुपए जिसमें 10,671 करोड़ रुपए एसएसए के लिए, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान 162 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए किया गया और 200,000 अध्यापकों की और नियुक्तियां की जाएंगी तथा 5,00,000 और कक्षाओं के कमरों का निर्माण होगा। मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए 7,324 करोड़ रुपए मुहैया होंगे, 3427 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं में बच्चों को भी कवर किया जाएगा, प्रारम्भिक शिक्षा कोष में अन्तरण को 8,746 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,393 करोड़ रुपए किया गया, माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रावधान दुगुना करके 1837 करोड़ रुपए से 3794 करोड़ रुपए।

- *साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्तियांः* राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम लागू की जाएगी ताकि विद्यालय बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों के अनुपात को कम किया जा सके, जिन विद्यार्थियों ने कक्षा VIII पास की है उनका राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे, प्रत्येक वर्ष 100,000 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, इस वर्ष 750 करोड़ रुपए की एक कार्पस निधि सृजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष इतनी ही राशि आगामी तीन वर्षों तक देकर इसे जारी रखा जाएगा।

- *पेय जल और सफाईः* राजीव गांधी पेय जल मिशन के लिए आबंटन 4680 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5850 करोड़ रुपए किया जाएगा और सम्पूर्ण सफाई अभियान के लिए आबंटन 720 करोड़ रुपए से 954 करोड़ रुपए किया जाएगा।

- *स्वास्थ्य क्षेत्रः* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः सभी जिलों को मार्च, 2007 तक जिला स्वास्थ्य कार्रवाई योजना की तैयारी पूरी करनी है, अधिक जोर मातृ एवं शिशु देखभाल और संचारी रोगों की रोकथाम और उपचार पर, आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवस (एमएचडी) के माध्यम से प्रतिरोधी टीकाकरण, प्रसव-पूर्व देखभाल, पोषाहार और सफाई जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच अभिमुखता प्राप्त करनी होगी, 200,000 से भी अधिक क्षेत्रों में 3,20,000 भर्ती सहयोगी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं ('आशाओं') को अभिमुखी प्रशिक्षण दिया गया, राज्यों द्वारा 90,000 'लिंक वर्कर्स' का चयन, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा में लाया गया, एनआरएचएम के लिए आबंटन में वृद्धि 8207 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9947 करोड़ रुपए।

- *एचआईवी/एड्सः* एनएसीपी-III कार्यक्रम 2007-08 में आरम्भ हुआ जिसका लक्ष्य अधिक जोखिम वाले समूह हैं, कंडोमों की सुलभता का विस्तार किया जाना और रक्त स्क्रीनिंग की सार्वभौमिक पहुंच तथा सुरक्षित रक्त का सुनिश्चयन, माता से बच्चे में एचआईवी/एड्स के संक्रमण को रोकने हेतु उपचार उपलब्ध कराने के लिए अधिक अस्पतालों की व्यवस्था, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लए 969 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- *पोलियोः* पोलियो दौरों की संख्या बढ़ायी जाएगी, एक संयोजक (मोनोवेलेंट) टीकाकरण की व्यवस्था आरम्भ होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 अधिक जोखिम वाले जिलों और बिहार के 10 जिलों में कवरेज को और सघन बनाया जाएगा, वर्ष 2007-08 में इसके लिए 1,290 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- *एकीकृत बाल विकास सेवाएंः* ग्यारहवीं योजना के दौरान सभी बस्तियों और अधिवासों को शामिल करने और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तक पहुंचने के लिए आवंटन को 4,087 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,761 करोड़ रुपए करना है।

- *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कवरेज का 200 जिलों से 330 जिलों तक विस्तार करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल न किए गए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु 2,800 करोड़ रुपए प्रदान किया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना के लिए ग्रामीण गरीबों के बीच स्व रोजगार बढ़ाने के निमित्त 1,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,800 करोड़ रुपए करना।

- *शहरी बेरोजगारीः* स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए आवटंन में वृद्धि, 250 करोड़ रुपए से 344 करोड़ रुपए करना।

- *जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशनः* 23,950 करोड़ रुपए की लागत वाली 538 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, आवंटन बढ़ाकर 4,595 करोड़ रुपए से 4,987 करोड़ रुपए करना है।

- *लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजनाः* लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन, निगरानी, प्रबंधन और इसे सुदृढ़ करने की योजना को क्रियान्वित किया जाना है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण और भारतीय खाद्य निगम में एकीकृत सूचना प्रणाली शामिल की जाएगी।

- *अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियांः* केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के संबंध में 3,271 करोड़ रुपए का आवंटन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को कम से कम 20% लाभ देने वाली अलग से निर्धारित योजनाओं के निमित्त 17,691 करोड़ रुपए, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येता कार्यक्रम के आवंटन में वृद्धि 35 करोड़ रुपए से 88 करोड़ रुपए, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां, प्रावधान को 440 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 611 करोड़ रुपए किया जाना है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए 91 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

- *अल्पसंख्यकः* राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की शेयर पूंजी में 63 करोड़ रुपए की वृद्धि, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए 72 करोड़ रुपए, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 90 करोड़ रुपए और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति के लिए 48.60 करोड़ रुपए का आवंटन।

- *महिलाएं:* 100 प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 8,795 करोड़ रुपए का परिव्यय और ऐसी योजनाओं के लिए जहां कम से कम 30% महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए है, 22,382 करोड़ रुपए है।

- *पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर):* आबंटन बढ़ाकर 12,041 करोड़ रुपए से 14,365 करोड़ रुपए; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति उपयुक्त राजकोषीय प्रोत्साहन सहित 31 मार्च, 2007 के पहले लागू की जानी है।

- *सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की अनुपूर्ति:* आयोजना 'क' के तहत 205,100 करोड़ रुपए का आवंटन, आयोजना 'ख' के तहत वर्ष के दौरान बेहतर कर प्रशासन के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त संसाधन जुटाना है, आयोजना 'ग' के तहत बजटेत्तर उपलब्ध संसाधनों को विशेषकर आधारभूत संरचना में निवेश के लिए सुदृढ़ किया जाना है।

कृषि

- *कृषि ऋण:* बैंकिंग सिस्टम में 50 लाख अतिरिक्त नए किसानों के साथ वर्ष 2007-08 के लिए 225,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य, अल्पावधि फसल ऋण के लिए 2% ब्याज सहायता के निमित्त 1,677 करोड़ रुपए का प्रावधान, चार राज्यों में विशेष रूप से पीड़ित 31 जिलों में तीन वर्ष की अवधि से विशेष योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें 16,979 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, इसका लगभग 12,400 करोड़ रुपए जल संबंधी स्कीमों के लिए है, विशेष योजना में दुधारु पशुओं के संवर्धन से संबंधित कार्यकलाप के लिए 153 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है।

- *दाल मिशन:* प्रजनक, मूल और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देते हुए एकीकृत तिलहन, पाम आयल, दालों और मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार करना, सरकार को भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, कानपुर के विस्तार का निधियन करना है और तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रमाणित बीजों के उत्पादन को दुगना करने के लिए अन्य उत्पादकों को पूंजी अनुदान या रियायती वित्तपोषण प्रदान करना है।

- *बागान क्षेत्र:* कॉफी, रबड़, मसाले, काजू और नारियल की पौध पुनः लगाने और उसे बढ़ाने के लिए वित्तीय तंत्र।

- *त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम:* वर्ष 2006-07 में 35 परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है और 900,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना है, राज्य सरकारों को अनुदान संघटक 2350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,580 करोड़ रुपए सहित परिव्यय को बढ़ाकर 7,121 करोड़ रुपए से 11,000 करोड़ रुपए करना है।

- *वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम:* नए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन करने का प्रस्ताव है।

- *जल संसाधन प्रबंधनः* जल निकायों की पुनः बहालीः 400,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र वाले 5,763 जल निकायों की पुनर्बहाली के लिए 2,182 करोड़ रुपए के तमिलनाडु के साथ विश्व बैंक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए, आंध्र प्रदेश के लिए करार मार्च, 2007 में सम्पन्न होने की संभावना है जिसमें 250,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र वाले 3,000 जल निकायों को शामिल किया जाएगा।

- *भूमि जल पुनर्भरणः* वर्षा के जल को कुओं में ले जाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 100% और अन्य किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी, 1,800 करोड़ रुपए नाबार्ड को अंतरित किया जाएगा।

- *किसानों को प्रशिक्षणः* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को 32 चुनिन्दा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों में, प्रत्येक में एक शिक्षण सह प्रदर्शन जल उपयोग माडल स्थापित करना है। प्रत्येक संस्थान को 100 प्रशिक्षकों और 1,000 किसानों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण देना है, कारपस निधि का सृजन करने के लिए प्रत्येक संस्थान को 3 करोड़ रुपए मुहैया कराना है।

- *विस्तार प्रणालीः* नया कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो पहले के प्रशिक्षण एवं दौरा (टी एंड वी) कार्यक्रम की अनुकृति तैयार करेगा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) अब 262 जिलों में चल रही है, इसे अन्य 300 जिलों में विस्तारित करना है, एटीएमए के लिए प्रावधान 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 230 करोड़ रुपए करना है।

- *उर्वरक सब्सिडीः* किये जाने वाले अध्ययन के आधार पर किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी देने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा।

- *कृषि बीमाः* वर्ष 2007-08 की खरीफ और रबी के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जारी रखी जाएगी जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, एनएआईएस के विकल्प के रूप में प्रायोगिक आधार पर कृषि बीमा निगम द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी, 2007-08 में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।

- *राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकः* ग्रामीण ऋण सहकारिताओं को वित्तपोषित करने के निमित्त इसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त करावकाश सहित नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए तक सरकारी गारंटी, ग्रामीण बांड जारी करना है।

- *ग्रामीण आधारभूत संचरना विकास निधिः* आरआईडीएफ-XIII के कार्पस को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए करना है, 4,000 करोड़ रुपए के कार्पस के साथ ग्रामीण सड़कों के लिए अलग विंडो जारी रहेगी।

- *सामाजिक सुरक्षाः* आम आदमी बीमा योजना नामक नई योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों, जिनके लिए आज कोई कवर नहीं है के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मृत्यु एवं विकलांगता बीमा कवर के लिए शुरू की जाएगी। परिवार का मुखिया या परिवार के एक

कमाऊ सदस्य का बीमा किया जाएगा, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 200 रुपए की प्रीमियम के लिए केन्द्र सरकार 50% वहन करेगी, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रखरखाव करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए निधि में रखा जाएगा।

निवेश

- वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण 23.7 प्रतिशत बढ़ा है, अप्रैल-जनवरी, 2006-07 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि 12.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गई और इसने 6.8 बिलियन अमरीकी डालर के पोर्टफोलियो निवेश को पीछे कर दिया है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 2007-08 में आंतरिक और बजटेत्तर संसाधनों के जरिए 165,053 करोड़ रुपए निवेश करना; सरकार 16,361 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता और 2,970 करोड़ रुपए ऋण मुहैया कराएगी।

आधारभूत ढांचा

- *विद्युतः* सात और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स प्रक्रियाधीन हैं और कम से कम दो जुलाई 2007 तक कार्य आरंभ कर देंगी, अन्य पहलों में संप्रेषण परियोजनाओं में प्राइवेट विकासकर्ताओं तथा प्राइवेट भागीदारी द्वारा मर्चेंट पावर संयंत्रों की स्थापना को सुसाध्य बनाना शामिल है, 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी जिला मुख्यालयों और शहरों को कवर करने हेतु त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना को पुनर्गठित किया जा रहा है, एपीडीआरपी के लिए बजटीय सहायता 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए की गई, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आबंटन राशि 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,983 करोड़ रुपए की गई।

- *कोयलाः* 8581 मिलियन टन के भंडारों वाले 26 कोयला ब्लाक और 755 मिलियन टन के भंडारों वाले चार लिग्नाइट ब्लाक सरकारी कंपनियों और स्वीकृत अंतिम प्रयोक्ताओं को आबंटित किए गए, विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उसमें भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन और कोयला लिक्विफिकेशन को भी शामिल किया गया है।

- *राष्ट्रीय राजमार्गः* राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए प्रावधान को 9945 करोड़ रुपए के बढ़ाकर 10,667 करोड़ रुपए किया गया है, बोगीबील, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क-सह-रेल पुल को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाएगा।

- *सार्वजनिक-निजी भागीदारी और व्यवहार्यता अंतर निधिपोषणः* 100 करोड़ रुपए की संगृहीत राशि से एक आवर्ती निधि स्थापित की जाएगी जिससे परियोजना की तैयारी में तेजी लाई जा सके, सफल बोलीदाता से वसूल किए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तैयारी पर लगने वाले व्यय का 75% तक निधि में अंशदान के लिए होगा।

उद्योग

- *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसः* 162 उत्पादन में भागीदारी करने वाले संविदा प्रदान किए गए, तेल अन्वेषण में 97,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, अन्वेषण के लिए 23 कोयला क्षेत्र वाले मेथाइन ब्लाकों को सुपुर्द किया गया।

- *वस्त्रः* एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए स्कीम हेतु प्रावधान को 189 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 425 करोड़ रुपए किया गया, प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि स्कीम 911 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ जारी रहेगी।

- *हथकरघाः* वर्ष 2007-08 में 100-150 अतिरिक्त समूहों को आरंभ किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा स्कीम को और अधिक बुनकरों हेतु विस्तारित किया जाएगा और अनुषंगी कामगारों को भी इसमें शामिल करते हुए इसका विस्तार होगा, इस क्षेत्र के लिए आबंटन राशि 241 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 321 करोड़ रुपए की जाएगी।

- *लघु और मझोले उद्यमः* दिसम्बर, 2006 के अन्त में 135,200 करोड़ रुपए के बकाया ऋण में बढ़ोतरी होकर यह 173,460 करोड़ रुपए हो गया।

- *नारियल जटा उद्योगः* प्रमुख नारियल जटा उत्पादक राज्यों पर विशेष जोर देते हुए आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना हेतु 22.50 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान।

सेवा क्षेत्रक

- *विदेश व्यापारः* वर्तमान राजकोषीय के अन्त तक पण्य निर्यातों में 125 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर जाने की आशा है।

- *पर्यटनः* पर्यटन आधारभूत संरचना में 423 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 520 करोड़ रुपए करना।

वित्तीय क्षेत्रक

- *बैंकिग;* विभेदक ब्याज दर स्कीम, लाभप्रद व्यवसायों में लगे समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत की दर पर वित्त उपलब्ध कराना, ऋण की सीमा 65,000 रू से बढ़ाकर 15,000 रूपए करना और आवासीय ऋण की सीमा 5,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपए करना।

- *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकः* वर्ष 2007-08 में देश के कवर न किए 80 जिलों में कम से कम एक शाखा खोलना; वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण तथा ब्याज प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर किया जाएगा; एनआरई/एफसीएनआर जमाराशियों को स्वीकार करने को अनुमति दी जाएगी; और जिनकी निवल सम्पत्ति ऋणात्मक है, उन्हें पुनः पूंजी प्रदान की जाएगी।

- *आवास ऋणः* राष्ट्रीय आवास बैंक एक 'प्रतिवर्ती बंधक' योजना आरम्भ करेगा जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक, जो किसी मकान का स्वामी है, अपने मकान को बंधक रखने के एवज निशिचित आय प्राप्त कर सकता है जबकि वह ऋण की आदायगी या शोधन किए बिना अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में मकान का मालिक बना रहेगा और इस पर काबिज रहेगा;बंधक गारंटी कम्पनियों के गठन को अनुमति देने वाले विनियम लाए जाएंगे।

- *बीमाः* राष्ट्रीय बीमा कम्पनी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक अनन्य स्वास्थ्य बीमा योजना; अन्य तीन सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनीयों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी प्रकार की योजना की पेशकश की जाएगी; लघु वित्तीय क्षेत्रक (विकास और विनियमन) विधेयक तथा बीमा कानूनों में संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

- *वित्तीय समावेशनः* विकासात्मक और संवर्धनात्मक उपायों की लागत वहन करने हेतु नाबार्ड में एक वित्तीय समावेशन निधि की स्थापना की जाएगी; प्रौद्योगिकी अपनाने की लागतों को पूरा करने के लिए एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की जाएगी; प्रत्येक निधि में 500 करोड़ रुपए का एक समग्र कार्पस होगा और इसका आरम्भिक निधि पोषण केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।

- *पूंजी बाजारः* प्रतिभूति बाजार के सभी भागीदारों के लिए पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाया जाए जिसमें किसी विशेष प्रकार के खाता में अन्तर करने के लिए एक अल्फा न्यूमेरिक उपसर्ग या प्रत्यय हो; विभिन्न बाजार भागीदारों के लिए सेबी द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों के अधीन स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की विचारणा को आगे बढ़ाना; म्यूचुअल फंड़ों को विनियुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर निधियां शुरु करने और प्रचालित करने की अनुमति देना; व्यक्तियों को भारतीय म्युचुअल फंड़ों के माध्यम से विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देना; संस्थाओं द्वारा डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिलीवरी द्वारा परिनिर्धारित अल्पकालिक-बिक्री और प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति देना; भारतीय कम्पनियों को उनकी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिमेय बांड़ों के निर्गम द्वारा ग्रुप कम्पनियों में उनकी धारिताओं के हिस्से को बेचने की अनुमति देने के लिए एक समर्थकारी व्यवस्था करना।

- *आधारभूत संरचना के लिए अभिनव वित्त पोषणः* इसके अन्तर्गत प्रस्तावित है कि भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से भी निधियां उन्हीं शर्तों पर उधार ली जा सकती है जिन पर राज्य सरकारें लेती हैं; दीपक पारेख समिति की आईआईएफसीएल की दो पूर्ण स्वामित्ववाली विदेशी अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना से सम्बन्धित सुझावों की जांच इस उद्देश्य से की जाएगी कि (i) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना और भारत में आधारभूत ढ़ांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही भारतीय कम्पनियों को उधार देना अथवा ऐसी परियोनाओं के लिए उनके विदेशी वाणिज्यिक उधारों को पूर्णतः भारत के बाहर पूंजीगत व्यय के लिए वित्त पोषित करना; और (ii) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना, ऐसी निधियों को उच्च दर वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों में निवेशित करना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संसाधनों को जुटाने हेतु भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को ''ऋण कवच'' बीमा उपलब्ध कराना।

अन्य प्रस्ताव

- *रक्षा व्ययः* आवंटन बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपए करना।

- *सूचना प्रौद्योगिकीः* ई-गवर्नेंस हेतु आवंटन 395 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 719 करोड़ रुपए करना और ई-गवर्नेंस कार्य योजना को राज्य स्तरों पर 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करना; सोफ्टवेयर निर्यात उद्योग हेतु मानव शक्ति विकास की एक नई योजना के लिए 33 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

- *पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधिः* आवंटन को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,800 करोड़ रुपए करना।

- *वित्तीय केंद्र के रूप में मुंबईः* उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को फीड बैक प्राप्त करने के लिए आम लोगों की जानकारी में रखा जाएगा।

- *व्यावसायिक शिक्षा मिशनः* व्यावसायिक शिक्षा मिशन पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु 50 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक प्रावधान का प्रस्ताव; दृष्टिकोण सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित होगा।

- *आईटीआई का उन्नयनः* सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसायों तथा कौशल के उत्कृष्टता केन्द्रों के रुप में 1,396 आईटीआई का उन्नयन; सरकार प्रारम्भिक धन के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी; 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रत्येक आईटीआई को उन्नयन तथा पाठ्यक्रमों के संशोधन हेतु प्रदान किया जाएगा; 750 करोड़ रुपए का राशि पृथक से रखी जाएगी।

- *विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार :* संगठित क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों को नियमित रोजगार देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना; कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा में पहले तीन वर्षों में नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति करना; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह की वेतन सीमा के साथ प्रत्येक वर्ष लगभग 100,000 रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करना; 1,800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

- *ऋण प्रबन्धन कार्यालयः* एक स्वायत्तशासी डीएमओ की स्थापना प्रथम चरण में मध्यवर्ती कार्यालय के साथ की जाएगी जो पूर्णतः डीएमओ के साथ लेन-देन को सुविधाजनक बनाएगा।

- *विकास सहयोगः* विकास सहयोग से सम्बद्ध गतिविधियों को एक छत्र के नीचे लाया जाएगा; भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी स्थापित की जाएगी।

- *जलवायु परिवर्तनः* भारत पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और भविष्य में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपायों की पहचान हेतु एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाएगा।

- *राष्ट्रमंडल खेलः* युवा मामले और खेल मंत्रालय को 150 करोड़ रुपए, और दिल्ली सरकार को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 350 करोड़ रुपए और पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- *इतिहास और संस्कृतिः* साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, सेवाग्राम आश्रम वर्धा; भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीटयूट पुणे और राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय पटना को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे; नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय को बौद्धिक कार्यकलाप का प्रमुख केन्द्र होने के नाते 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे; भारतीय और विदेशी संस्थाओं से विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए शिक्षविदों को रखा जाएगा और इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

- *उत्कृष्ट संस्थाएंः* गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा।

लोक वित्त

- राज्यों के ऋण के 110,268 करोड़ रुपए समेकित किए जा चुके हैं; बीस राज्यों ने 8575 करोड़ रुपए की ऋण माफी का लाभ उठाया है; करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 120,377 करोड़ रुपए से बढ़कर 142,450 करोड़ रुपए होगा; राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान और ऋण 90,521 करोड़ रुपए से बढ़कर 106,987 करोड़ रुपए होगा।

- *वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और जी एस टी के लिए कार्ययोजनाः* केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता किया गया; 1 अप्रैल, 2007 से दर 4% से कम करके 3% किया जाएगा, वैट और केन्द्रीय बिक्री कर के कारण हुई हानियों के लिए भी, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति के लिए 5,495 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा; 1 अप्रैल, 2010 से एक राष्ट्रीय स्तर का माल और सेवा कर (जी एस टी) आरंभ करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी है।

2007-2008 के लिए बजट अनुमान

- 205,100 करोड़ रुपए का आयोजना व्यय; 435,421 करोड़ रुपए (भारतीय स्टेट बैंक की प्राप्ति घटाकर) का आयोजना-भिन्न व्यय जिसमें 2006-07 की तुलना में केवल 6.5% की वृद्धि हुई है। राजस्व घाटा 71,478 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 1.5%) और राजकोषीय घाटा 150,948 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%) अनुमानित है।

कर प्रस्ताव

अप्रत्यक्ष कर:

सीमा शुल्क:

- कृषि भिन्न उत्पादों की शीर्ष दर मे कटौती 12.5% से 10%।
- अधिकांश रसायन और प्लास्टिक पर शुल्क में कटौती; 12.5% से 7.5% द्वितीयक और खराब इस्पात पर कटौती 20% से 10% करना।
- निहित राख तत्व को ध्यान में रखे बगैर सभी प्रकार के कुकिंग कोयले को पूरी तरह शुल्क मुक्त करना
- पोलिस्टर रेशे धागे पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% और डीएमटी,पीटीए और एमईजी जैसे कच्चे माल पर भी शुल्क 10% से घटाकर 7.5%; कटे हुए और पोलिश किए हुए हीरों पर शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3%; खुरदरे सिन्थेटिक नगों पर शुल्क 12.5% से घटाकर 5% और अनगढ़े मूंगों पर 30% से 10% करना
- तलकर्षकों को पूर्णतया आयात शुल्क से छूट।
- सिंचाई सुविधाओं और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को मजबूती प्रदान करने, ड्रिप सिंचाई प्रणालियों और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर शुल्क 7.5% से घटाकर 5% करना।
- चिकित्सा उपस्करों पर आयात शुल्क की सामान्य दर घटाकर 7.5% करना।
- खाद्य तेलों को और सस्ता करने के लिए कच्चे तेल और परिष्कृत खाद्य तेलों पर 4% के अतिरिक्त सी वी शुल्क से छूट; सूरजमुखी के तेल, कच्चे और परिष्कृत दोनों पर शुल्क में 15% अंकों की कमी।
- पालतू जीवों के भोजन पर शुल्क 30% से घटाकर 20% करना; घड़ियों के डायल और स्पन्दन तथा छातों के पार्ट्स पर 12.5% से 5%; अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान निदेशालय में पंजीकृत सभी अनुसंधान संस्थाओं को 5% शुल्क की रियायती दर का विस्तार किया जाएगा; भेषजीय और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए 15 विनिर्दिष्ट मशीनरी पर शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जाना।
- हेलीकाप्टरों सहित वायुयान के सभी निजी आयात पर 3% का शुल्क (डब्ल्यू टी ओ आबद्द दर) लगाया जाएगा; ऐसे आयात पर प्रतिकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगेगा।
- लौह अयस्क और सांद्रों के निर्यात पर 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन का शुल्क और क्रोम अयस्क और सांद्रों के निर्यात पर 2000 रुपए प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगेगा।

उत्पाद शुल्क

- पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद-शुल्क के मूल्यानुसार घटक को 8% से घटाकर 6% किया जाना।
- *पात्र मामलों विशेषतया नौकरी सृजनकारी क्षेत्रों को राहतः* लघु उद्योग की छूट सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करना; खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बिस्किट जिसकी खुदरा बिक्री मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्रम से अधिक न हो और इन्सटैंट मिश्रणों सहित सभी प्रकार के खाद्य मिश्रणों को पूरी छूट; छातों और जूतों के पार्ट्स पर शुल्क 16% से घटाकर 8% करना; प्लाईवुड पर शुल्क 16% से घटाकर 8% करना; बायोडीजल पूर्णतया छूट प्राप्त होगा।
- शुद्ध पेयजल तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विनिर्दिष्ट मेम्बरेन आधारित प्रौद्योगिकियों पर चल रहे जल शुद्धिकरण यंत्रों और बिजली का प्रयोग न कर रहे घरेलू जल फिल्टरों को पूर्ण छूट; जलापूर्ति संयंत्र से भंडारण सुविधा तक जल ले जाने के लिए प्रयोग होने वाले पाइपों पर छूट का विस्तार जलापूर्ति प्रणालियों में प्रयुक्त 200 मि.मि. से अधिक के व्यास वाले सभी पाइपों तक किया गया है।
- 190 रुपए प्रति बैग से अनाधिक खुदरा में बिक रहा सीमेंट पर शुल्क 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन करना; अधिक एम आर पी वाली सीमेंट पर 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर लगाना।
- सिगरेट पर शुल्क की विशिष्ट दरें लगभग 5%; बढ़ाना; मशीन से न बनाई गई बीड़ियों पर शुल्क (उपकर छोड़कर) 7 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए प्रति हजार और मशीन से बनाई गई बीड़ियों पर 17 रुपए से बढ़कर 24 रुपए प्रति हजार; तंबाकु रहित पान मसाले पर शुल्क 66% से घटाकर 45% करना; तंबाकु वाले पान मसाले और पूर्वोतर राज्यों में एककों को दिए तंबाकु उत्पादों पर छूट वापस लेना।

सेवा कर

- छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए छूट सीमा 400,000 रुपए से बढ़ाकर 800,000 रुपए करना।
- *सेवा कर का विस्तारः* खनिज, तेल या गैल के खनन हेतु बाहर से ली गई सेवाएं; वाणिज्य और व्यवसाय में प्रयोग के लिए अचल संपत्ति किराए पर देना (आवासीय संपत्तिया, कृषि और इसी तरह के प्रयोजनार्थ प्रयोग की गई खाली भूमि, खेलों, मनोरंजन और पार्किंग प्रयोजनों के लिए भूमि और शैक्षिक अथवा धार्मिक प्रयोजनों हेतु अचल संपत्ति को छोड़कर); दूरसंचार और विज्ञापन प्रयोजनों में प्रयोग के लिए वस्तु का विकास और आपूर्ति; व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं; डिजाइन सेवाएं; वैकल्पिक संरचना स्कीम वाली निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में शामिल सेवाएं जिनके अंतर्गत निर्माण कार्य संविदा के कुल मूल्य का सिर्फ 2% कर लगेगा।

- *छूटः* रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा अपने सदस्यों, जो उन्हें दी गई सेवाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए अथवा कम का अंशदान करते है; को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्कुबेटरों द्वारा अपने इन्कुबेटी को उपलब्ध कराई गई सेवाएं जिनका वार्षिक व्यवसाय कारोबार 50 लाख रुपए से अधिक न हो, उन्हें पहले तीन वर्ष के लिए छूट; दवा परीक्षण हेतु भारत को एक वरीय गंतव्य स्थल बनाने के लिए नई दवाओं का नैदानिक परीक्षण।
- दूरसंचार विभाग दूरसंचार उद्योग पर लागू शुल्कों की वर्तमान संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।

प्रत्यक्ष कर

- सभी निर्धारितियों के मामले में छूट की प्रारम्भिक सीमा को 10,000 रुपए बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार प्रत्येक निर्धारिती को 1,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी; महिला निर्धारिती के मामले में, प्रारम्भिक सीमा को 1,35,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट की प्रारम्भिक सीमा को 1,85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए किया जाएगा, इस प्रकार उन्हें 2,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी; और धारा 80घ के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती को अधिकतम 15,000 रुपए की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, और, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह अधिकतम सीमा 20,000 रुपए होगी।
- 1 करोड़ रुपए या उससे कम की कर योग्य आय वाली फर्मों और कम्पनियों पर आयकर पर अधिभार हटाया जाएगा।
- सहकारी बैंकों को धारा 36(1)(viii) का लाभ उपलब्ध होगा; धारा 36(1)(viiiक) के अंतर्गत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में भी कटौती की अनुमति होगी; बैंकिंग कंपनियों का समामेलन और अविलयन के कर तटस्थ लाभ का विस्तार सहकारी बैंकों तक किया जाएगा।
- आधारभूत सुविधाओं के लिए धारा 80झक के अधीन रियायतों का विस्तार गैस पाइपलाइन और नेटवर्क से जुड़ी भंडारण सुविधाओं सहित पूरे देश में प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क; और समुद्र में नौवहन तंत्र के लिए किया जाएगा।
- शहरी अवसंरचना के सृजन को सुसाध्य बनाना, शहरी स्थानीय निकायों के एक समूह के लिए निधियां जुटाने हेतु स्टेट पूल्ड फाइनांस एंटीटीज के माध्यम से कर मुक्त बांडों के निर्गम की अनुमति दी जाएगी।
- हीरों के विनिर्माण और कारोबार में लगे उन निर्धारितियों के लिए एक सरल कर निर्धारण प्रक्रिया लागू की जाएगी जो ऐसे कार्यकलापों से कारोबार के 8 प्रतिशत या अधिक का लाभ घोषित करें।
- दो, तीन या चार सितारा होटलों तथा उन सम्मेलन केन्द्रों जिनमें बैठने की क्षमता 3,000 से कम न हो, आयकर से पांच वर्ष का करावकाश; उन्हें 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली अथवा संलग्न जिलों फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या गौतमबुद्धनगर में बनाकर अपना कार्य प्रचालन आरम्भ कर देना चाहिए।

- धारा 35(2कख) का विस्तार पांच वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च, 2012 तक किया जाएगा।
- जम्मू और कश्मीर में स्थित उपक्रमों को पांच वर्ष की आगे की अवधि के लिए 31 मार्च, 2012 तक करावकाश दिया जाएगा।
- न्यूनतम विकल्पकर (एमएटी) का विस्तार उस आय पर किया जाएगा जिसके संबध में धारा 10क और 10ख के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया है; धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती को प्रतिवर्ष लाभ के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।
- उद्यम पूंजी निधियों को 'पास-थ्रु' की हैसियत केवल जैव प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर विकास से संबधित सूचना प्रौद्योगिकी; नैनोटेक्नोलोजी, बीज अनुसंधान एवं विकास, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नए रासायनिक तत्वों का अनुसंधान और विकास; डेयरी उद्योग; कुक्कुट उद्योग; और जैव-ईंधनों के उत्पादन, कतिपय प्रकार और आकार के होटल-सह-सम्मेलन केन्द्रों में उद्यम पूंजी वाले उपक्रमों को दी जाएगी।
- एनएचएआई और आरईसी द्वारा धारा 54ङ ग के अंतर्गत जारी पूंजी लाभ बांडों के संबध में प्रतिवर्ष प्रति निवेशक 50 लाख रुपए की सीमा जारी रहेगी।
- कंपनियों द्वारा संवितरित लाभांशों पर लाभाशं वितरण कर की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत और मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंड़ों और लिक्विड म्यूच्युअल फंडों द्वारा सभी निवेशकों को वितरित लाभाशों पर 25 प्रतिशत की जाएगी।
- निःशुल्क नमूनों और प्रदर्शनों पर व्यय को अनुषंगी लाभ कर के दायरे से बाहर किया जाएगा। कर्मचारी स्टाफ आप्शन प्लान को इस कर के अंतर्गत लाया जाएगा।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा नकद आहरणों को बैंकिग नकद लेन-देन कर के दायरे से हटाया जाएगा; व्यष्टियों और अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब के लिए छूट सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु 54 प्रतिशत तक क्षमता के विस्तार के निधि पोषण हेतु सभी करों पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर।
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अधीन घोषित वस्तुओं की सूची में अनुसूचित एअरलाइनों द्वारा परिचालित 40,000 कि.ग्रा. से कम न्यूनतम उड़ान क्षमता वाले सभी लघु वायुयानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाएगा।